तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
16/7/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. [illegible] मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 17-9-19...... को पेश हों
17/9/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 5-11-19 को पेश हो।
5/11/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय,चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनाक 17.12.19 को पेश हो।
17/12/19	वकुलाय [illegible] उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. [illegible] मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 21-1-20........ को पेश हों
21/1/20	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह पत्रावली दिनांक 12.10.17 से अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जेरकार है। उक्त दिनांक को वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु Regd. नोटिस तलबाना पेश करने का आदेश दिया गया था मगर आज दिनांक तक काफी अवसर दिए जाने के बाद भी Regd. नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। इसप्रकार वकील प्रार्थी व प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं होना प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी व प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशों की पालना नहीं की जा रही है जबकि वादी का दायित्व है कि वह अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आवश्यक कार्यवाही करे जो प्रार्थी द्वारा नहीं करना सी.पी.सी. के प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 सी.पी.सी. में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)